करेंट अफेयर्स 25 अगस्त 2022

भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग के साथ पंजीकृत मिथिला मखाना

खबरों में क्यों?

उन्होंने कहा, 'मिथिला मखाना जीआई टैग के साथ पंजीकृत है, किसानों को लाभ मिलेगा और कमाई करना आसान होगा। **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में कहा**, त्योहारी सीजन में मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेत टैग के कारण बिहार के बाहर के लोग श्रद्धा के साथ इस शुभ सामग्री का उपयोग कर सकेंगे।

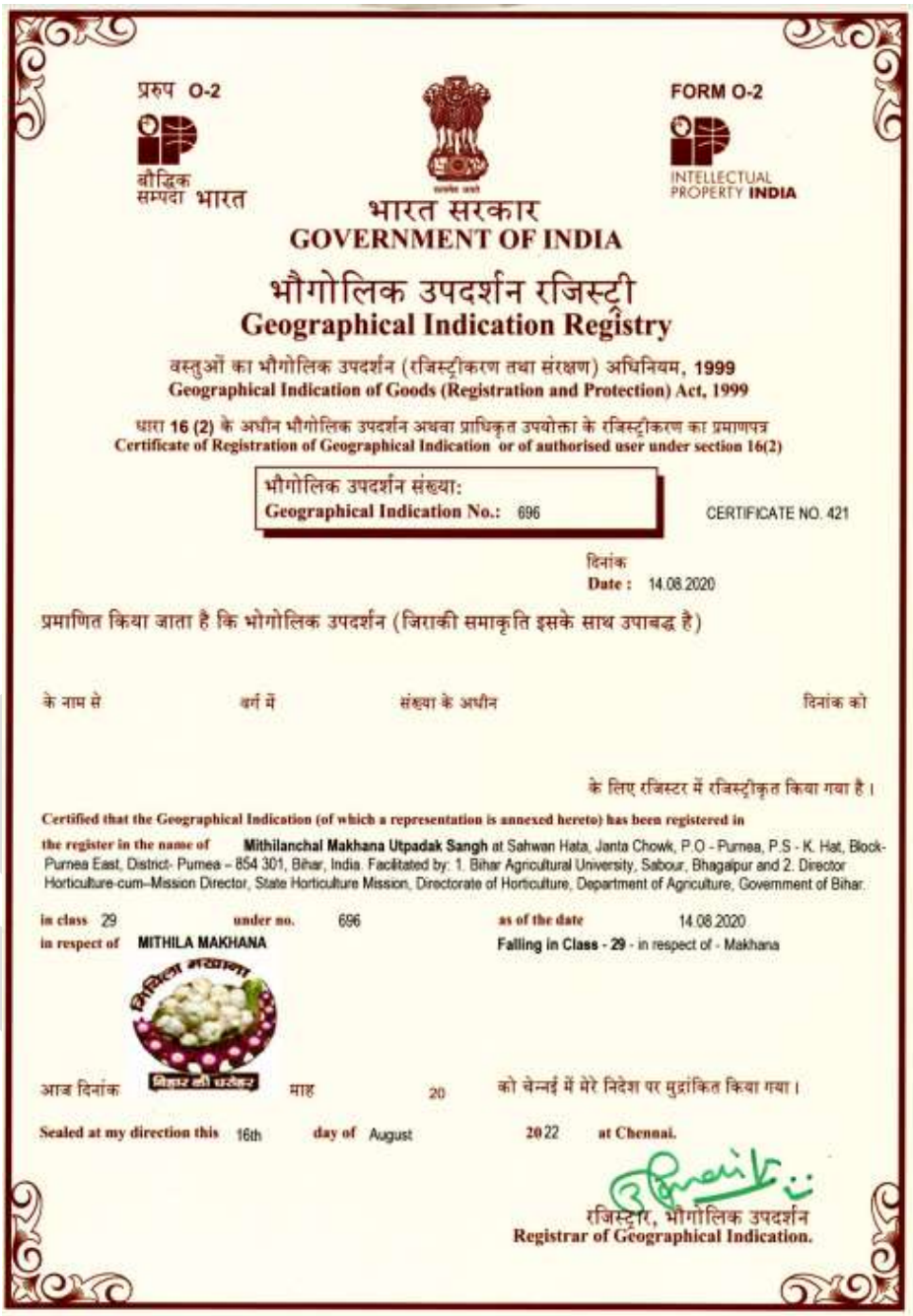

प्ररुप O-2 FORM O-2

बौद्धिक सम्पदा भारत INTELLECTUAL PROPERTY INDIA

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री
Geographical Indication Registry

वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण तथा संरक्षण) अधिनियम, 1999
Geographical Indication of Goods (Registration and Protection) Act, 1999

धारा 16 (2) के अधीन भौगोलिक उपदर्शन अथवा प्राधिकृत उपयोक्ता के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र
Certificate of Registration of Geographical Indication or of authorised user under section 16(2)

भौगोलिक उपदर्शन संख्या:
Geographical Indication No.: 696

CERTIFICATE NO. 421

दिनांक
Date : 14.08.2020

प्रमाणित किया जाता है कि भौगोलिक उपदर्शन (जिसकी समाकृति इसके साथ उपाबद्ध है)

के नाम से वर्ग में संख्या के अधीन दिनांक को

के लिए रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

Certified that the Geographical Indication (of which a representation is annexed hereto) has been registered in the register in the name of **Mithilanchal Makhana Utpadak Sangh** at Sahwan Hata, Janta Chowk, P.O - Purnea, P.S - K. Hat, Block-Purnea East, District- Purnea – 854 301, Bihar, India. Facilitated by: 1. Bihar Agricultural University, Sabour, Bhagalpur and 2. Director Horticulture-cum–Mission Director, State Horticulture Mission, Directorate of Horticulture, Department of Agriculture, Government of Bihar.

in class 29 under no. 696 as of the date 14.08.2020

in respect of MITHILA MAKHANA Falling in Class - 29 - in respect of - Makhana

आज दिनांक माह 20 को चेन्नई में मेरे निदेश पर मुद्रांकित किया गया।

Sealed at my direction this 16th day of August 2022 at Chennai.

रजिस्ट्रार, भौगोलिक उपदर्शन
Registrar of Geographical Indication.

जीआई टैग के बारे में -

- जीआई मुख्य रूप से एक कृषि, प्राकृतिक या एक निर्मित उत्पाद (हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान) है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होता है।
- **वस् तुओं के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999**
- भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण और बेहतर सुरक्षा के लिए प्रदान करना।
- ट्रिप्स पर डब्ल्यूएचओ समझौते द्वारा शासित और निर्देशित।
- एक बार जब किसी उत्पाद को यह टैग मिल जाता है, तो कोई भी व्यक्ति या कंपनी उस नाम से एक समान आइटम नहीं बेच सकती है। यह टैग **10 साल की अवधि के लिए** वैध है जिसके बाद इसे नवीनीकृत किया जा सकता है।

जीआई रजिस्ट्रेशन -

- प्रक्रिया जिसमें **आवेदन दाखिल करना, प्रारंभिक जांच और परीक्षा**, कारण बताओ नोटिस, भौगोलिक संकेतक पत्रिका में प्रकाशन, पंजीकरण का विरोध और पंजीकरण शामिल हैं।
- कानून द्वारा या उसके तहत स्थापित व्यक्तियों, उत्पादकों, संगठन या प्राधिकरण का कोई भी संघ आवेदन कर सकता है।
- आवेदक को उत्पादकों के हित का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।

मिथिला मखाना के बारे में जानने के लिए-

- मिथिला मखाना या माखन (वानस्पतिक नाम: यूरेले फेरॉक्स सैलिस्ब) बिहार और नेपाल के **मिथिला क्षेत्र में खेती की जाने वाली जलीय लोमड़ी अखरोट** की एक विशेष किस्म है**।**
- इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ प्रोटीन और फाइबर होता है।

बिहार के अन्य उत्पादों में जीआई टैग है –

- भागलपुरी जर्दालु आम
- कटारनी चावल
- मगही पान (पान)
- शाही लीची
- सिलाओ खाजा (एक विनम्रता)
- मधुबनी पेंटिंग
- पिपली का काम

जून 2022 **में, चेन्नई में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री** ने नालंदा की **'बावन बूटी' साड़ी,** गया की '**पत्थरकट्टी पत्थर शिल्प**' और हाजीपुर की '**चिनिया' किस्म के केले** को जीआई टैग देने के प्रारंभिक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था।

RACE IAS